

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फकल डिप्लोमा केवल आवासीय योजनाएँ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 928 दिनांक 20/10/2020

पी+1
आवासीय

मार्थीया श्रीमती समरा जैन जी 10 श्री पंकज जैन
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 प.नं: 97 सं 98 का (शिका)
धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय परमर्ती नगर योजना - पालिका
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12500/- जमा
जरिये रसीद संख्या 269/2604, 2605
दिनांक 20/10/2020 को जमा करा दी है ।

20/10/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर